केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/200 दिनांक: 07.06.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00199
CICOM/R/2016/00259

अपीलकर्ता : श्री रामकिशुन चौहान,
पुत्र – स्व0 सूर्यवली चौहान,
ग्राम-पो0 – दरगाह, जनपद – मऊ,
उत्तर प्रदेश – 276306.

निर्णय की तारीख : 07.06.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.02.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	22.02.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.03.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	121186/14.03.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	156/15.03.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से प्रिमियर होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 22.02.2016 को प्रदान की गई सूचना कि ***"वांछित सूचना के लिए संबंधित राज्य सरकार/राज्य सूचना आयोग के समक्ष आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें"*** से व्यथित होकर अपीलकर्ता न प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. **संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से प्रिमियर होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ से संबंधित सूचनाएं मांगी हैं जिसे केन्द्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान करना संभव नहीं है । उक्त परिस्थिति में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सहीं है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं ।**

3. तद्रुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
13 JUN 2016
Initials

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
14 JUN 2016
D No.
Initials

---2/-

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है अतः संलग्न 10 रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर अपीलकर्ता को वापस किया जाता है ।

संलग्नक : यथोपरि ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

13/6/16